दिनांक 26–27 अक्टूबर, 2018 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

1. **उपस्थिति:–संलग्न।**

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्यस्तरीय बैठक में भाग लेने साथ ही अनुपस्थिति के स्थिति की पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, किशनगंज एवं सीतामढ़ी को दिनांक 26.10.2018 के आहूत राज्यस्तरीय बैठक में अनुपस्थित रहने से संबंधित स्पष्टीकरण जिला पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही अगली बैठक से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों का संबंधित तिथि का वेतन अवरूद्व करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन:– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां० पदा०/स्थापना

2. पिछले समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही का अनुपालन एवं सांख्यिकी से संबंधित सभी प्रकार के प्रतिवेदन ससमय निदेशालय को लभ्य कराने के लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
3. प्रत्येक सप्ताह के बुधवार एवं गुरूवार को सांख्यिकी से संबंधित सभी कार्यो का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालन:– निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां० पदा०

4. सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों को जिला स्तरीय सभी प्रकार के बैठकों में भाग लेने एवं सांख्यिकी कार्यो से संबंधित समीक्षा करने का निदेश दिया गया, ताकि लंबित प्रतिवेदनों को अद्यतन किया जा सके।

अनुपालन:– सभी जिला सां०पदा०

5. सेवानिवृत होने वाले कर्मियों को सेवान्त लाभ ससमय देने तथा आगामी छः माह में सेवानिवृत होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों का विस्तृत विवरण निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:– निदेशालय एवं सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

6. **बजट** :–

(i) **(क)** वित्तीय वर्ष 2018–19 के माह–सितम्बर 2018 की व्यय विवरणी सभी जिलों से प्राप्त है इसके लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। समीक्षा में कुछेक जिलों से प्राप्त मासिक व्यय विवरणी के साथ CTMIS की सत्यापित प्रति संलग्न नहीं रहने के कारण निदेश दिया गया कि मासिक व्यय विवरणी के साथ CTMIS की सत्यापित प्रति संलग्न करते हुए अनिवार्य रूप से प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

(ख) निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह के वेतन आदि का भुगतान माह के अंतिम तिथि तक नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम एवं भ्रमण दैनन्दिनी प्राप्त कर नियमानुसार देय यात्रा भत्ता का नियमित भुगतान सुनिश्चित करें।

अनुपालन–सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां०पदा०

(ग) गत बैठकों में दिये गये निदेश के बावजूद अद्यतन संधारित कार्यालय रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति कुछेक प्रमंडल/जिला द्वारा उपलब्ध नहीं कराने पर क्षोभ प्रकट किया गया एवं सभी को निदेश दिया गया कि उक्त प्रतिवेदन के साथ सभी क्षेत्रीय कार्यालय/मुख्यालय सहित अपने लेखा एवं रोकड़ की जाँच (Reconciliation) प्रतिवेदन भी प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक निदेशालय के लेखा शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिला सांख्यिकी कार्यालय, रोहतास के रोकड़पंजी में बैंक खाता से 30,00,000 (तीस लाख) रू० ज्यादा रहने एवं रोकड़पंजी 2018 तक ही अद्यतन रहने के कारण स्पष्टीकरण मांगने का निदेश दिया गया।